न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1595–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–14 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला खरगोन प्रकरण कमांक 34/बी–103/2013–14/33.

—

1–रणजीत पिता श्री बलीसम पाटीदार
2–देवेन्द्र पिता श्री कालू पाटीदार
3–बलीराम पिता कालू पाटीदार
सभी निवासी ग्राम नंदगॉव रोड,
तहसील व जिला खरगोन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे उपपंजीयक, खरगोन

.....अनावेदक

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मूँगी, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/11/14 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 10–3–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उप पंजीयक जिला खरगोन द्वारा अपंजीकृत विलेख दिनांक 3–12–2013 अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत परिबद्ध कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 34/बी–103/13–14/33 दर्ज कर दिनांक 10–3–2014 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 24,86,550/– अवधारित करते हुये मुद्रांक शुल्क रुपये 1,55,410/– निर्धारित किया गया एवं दस्तावेज सम्यक् रूप से स्टाम्पित होने के

कारण अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 5,000/– शास्ति भी अधिरोपित की गई । इस प्रकार कुल रुपये 1,60,410/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा बाजार मूल्य निर्धारित करने में इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा आवेदकगण के मध्य पूर्व में ही हो चुका था और व्यवहार न्यायालय द्वारा बटवारे संबंधी डिक्री पारित की गई है, अतः व्यवहार न्यायालय की डिक्री के विपरीत प्रश्नाधीन विलेख को दानपत्र मानकर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विलेख की विषयवस्तु पर ध्यान नहीं देकर विलेख को दानपत्र मानने में त्रुटि की गई है, क्योंकि बटवारा विलेख में स्पष्ट है कि आवेदक कमांक 1, आवेदक कमांक 3 का पुत्र है, जिसका प्रश्नाधीन संपत्ति पर जन्म से ही अधिकार है और आवेदक कमांक 2, आवेदक कमांक 3 का भाई है, जिसका भी पैतृक संपत्ति पर हक है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदक कमांक 3 का स्वत्व समाप्त करके आवेदक कमांक 1 एवं 2 को नवीन स्वत्व प्रदान करना मानकर बाजार मूल्य निर्धारित करते हुये मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा गाईड लाईन के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित करने में त्रुटि की गई है, जबकि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक कमांक 2 का स्वत्व समाप्त कर अनावेदक कमांक 1 एवं 2 को नवीन स्वत्व दिया गया है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन विलेख को दानपत्र मानकर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि बटवारा सहस्वामीयों के मध्य होता है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि में आवेदक कमांक 1 लगायात 3 सहखातेदार नहीं है । सर्वे कमांक 374/1 रकबा 0.850 हेक्टर एवं सर्वे कमांक 374/3 रकबा 1.372 हेक्टर पर केवल अनावेदक कमांक 3 को नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । सर्वे कमांक 168 रकवा 0.077 हेक्टर पर अनावेदक कमांक 2, अनावेदक कमांक 3 एवं मथुराबाई का नाम राजस्व अभिलेखों में संयुक्त रूप से दर्ज है, और आवेदक कमांक 1 सहखातेदार नहीं है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 2(15) का उल्लेख करते हुये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध निष्पादित लिखत विभाजन पत्र नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक कमांक 3 का नाम कम किया जाकर आवेदक कमांक 1 व 2 को स्वत्व प्रदान किया गया है । इस कारण भी प्रश्नाधीन विलेख बटवारा पत्र की श्रेणी में नहीं आता है, अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज को दानपत्र मानकर बाजार मूल्य अवधारित करते हुये मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन संपत्ति पैतृक संपत्ति है, और आवेदक कमांक 1, आवेदक कमांक 3 का पुत्र है एवं आवेदक कमांक 2 आवेदक कमांक 3 का भाई है, इसलिये प्रश्नाधीन विलेख बटवारानामा ही मान्य होगा, क्योंकि बटवारा सहखातेदार के मध्य ही होता है और केवल निकट संबंधी होने से प्रश्नाधीन भूमि पर सहखातेदार का दावा नहीं किया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 10–3–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर